भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2582

उत्तर देने की तारीख- 04/08/2026

दिव्यांगजनों की शिक्षा हेतु विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान

2582. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा अपने राष्ट्रीय संस्थानों और विशेष मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं, सहायक उपकरण, छात्रवृत्तियां और छात्रों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों सहित दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थानों में कितने प्रशिक्षित विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं और स्वीकृत और रिक्त पदों, यदि कोई हो तो, की संख्या क्या है;
(ग) इन संस्थानों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने, सहायक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शिक्षण संसाधनों और प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की उपलब्धता के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) 'परियोजना निर्माण/आरंभ' पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) क्या सरकार का दिव्यांगजनों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त विशेष मान्यता प्राप्त संस्थानों की स्थापना करने या मौजूदा संस्थानों का उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्थान तथा उनके समेकित क्षेत्रीय केंद्र मान्यता प्राप्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, जो दिव्यांगजनों के लिए भी हैं, संचालित करते हैं। इन संस्थानों ने दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें समावेशी और सुगम्य शैक्षिक अवसंरचना का विकास, सुगम्य कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, नैदानिक सुविधाएँ, स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल पुस्तकालय

तथा ई-पुस्तकों और ई-जर्नलों तक पहुँच उपलब्ध कराना शामिल है। ये संस्थान कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित करते हैं।

'दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) की योजना' के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों, जिनमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, को आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों तथा इस विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर सहित अन्य संस्थाओं को निधि जारी की जाती है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छह घटकों के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं – प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लास, राष्ट्रीय फेलोशिप, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप तथा निःशुल्क कोचिंग।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान शैक्षणिक पाठ्यक्रमों आदि में दिव्यांगजनों को शुल्क में छूट भी प्रदान करते हैं।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में स्थित राष्ट्रीय संस्थानों तथा उनके समेकित क्षेत्रीय केंद्रों/क्षेत्रीय केंद्रों में विशेष शिक्षकों के कुल 26 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 24 विशेष शिक्षक कार्यरत हैं।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय संस्थानों ने बाधा-मुक्त अवसंरचना, स्मार्ट कक्षाएँ, संसाधन कक्ष, थेरेपी इकाइयाँ, कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ तथा ई-लर्निंग मंचों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित उपकरणों सहित सुगम्य डिजिटल शिक्षण संसाधन विकसित किए हैं।

एलिम्को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संगठनों तथा स्टार्ट-अप्स के साथ साझेदारी के माध्यम से उन्नत सहायक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग ने राष्ट्रीय संस्थानों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹452.38 करोड़ तथा संसाधनों, उपकरणों, प्रशिक्षण और अन्य संस्थागत गतिविधियों के लिए ₹544.16 करोड़ जारी किए हैं।

योग्य विशेष शिक्षकों की भर्ती आरसीआई (भारतीय पुनर्वास परिषद) के मानदंडों के अनुसार की जाती है तथा उनकी क्षमता में निरंतर वृद्धि सीआरई कार्यक्रमों, संकाय विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से की जाती है।

वर्तमान में अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा संस्थानों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी अवसंरचना, उपकरणों और सुविधाओं का उन्नयन किया जाता है।
